न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्र.सं. : 53/2023
जी.सी.एम.एस. : 2023/112

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
रेखराज पुत्र श्री शेषमल, जाति महाजन (जैन) निवासी दुजाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		1. परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय राजमार्ग) पदेन अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग वृत्त जोधपुर (राज.) 2. सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पदेन अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग वृत्त जोधपुर (राज.) 3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) राष्ट्रीय राजमार्ग (बालोतरा साण्डेराव वाया जालोर) पदेन उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी
अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.03.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के अवॉर्ड दिनांक 25.04.2022 की पुनर्गणना कराने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि विहित प्राधिकारी तहसीलदार बाली के आदेश क्रमांक 02 दिनांक 28.09.1991 द्वारा जैर आराजी को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाया व उक्त संपरिवर्तित भूमि राजस्व रेकर्ड में भी तत्समय से प्रार्थी के नाम गैरमुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। सक्षम प्राधिकारी के जारी अधिसूचना के तहत कथित दिनांक 25.04.2022 से संबंधित अवॉर्ड द्वारा ग्राम दुजाणा की भूमि हेतु गुणक 1.5 का होना निर्धारित किया, 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना किया जाना, आबादी भूमि का अवॉर्ड पृथक से जारी किया जाना, तोषण की राशि 100 प्रतिशत अदा करना तय करते हुए अवॉर्ड जारी किया गया। संयुक्त रूप से जारी अवॉर्ड के परिशिष्ट–1 में

जिला कलेक्टर, पाली

संबंधित व्यक्तियों के संबंध में राशि की गणना अंकित की, जिसके क्रम संख्या 15 पर प्रार्थी की भूमि के संबंध में गणना अंकित की परन्तु उक्त गणना कृषि भूमि की दर से करते हुए राशि का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.03.2018 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। संदर्भित अवॉर्ड में भी गैर मुमकिन आबादी दर्ज है परन्तु उसके बावजूद कृषि भूमि की दर से अदायगी का अवॉर्ड पारित किया। उक्त अवॉर्ड के द्वितीय भाग में वर्णित निर्देश संख्या 01 के तहत किसी प्रकार की त्रुटियों को स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर 06 माह के भीतर प्रस्तुत होने पर सुधार किये जा सकने का निर्देश जारी किया गया है जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी व अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच भी करवाई गई जिसमें प्रार्थी की जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी होना तहसीलदार, पटवारी व ग्राम पंचायत सभी की रिपोर्ट से प्रमाणित है इसके बावजूद भी अवॉर्ड को संशोधित नहीं किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार अवॉर्ड जारी करने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारित किये जाने के समय पेश नहीं किये थे तथा मौके पर उपयोग कृषि होने से कृषि दर से गणना कर मुआवजा दिया गया, जिसे प्रार्थी ने स्वीकार किया व मुआवजा राशि निर्धारण के समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की व अपनी सहमति प्रकट किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से निरस्त करने का आदेश फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है प्रकरण में आवेदक का यह कथन है कि उसके द्वारा विहित प्राधिकारी तहसीलदार बाली के आदेश से विवादित आराजी को दिनांक 28.09.1991 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया था परन्तु उक्त भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि की दर से ही दिया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत रेकर्ड, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) राष्ट्रीय राजमार्ग (बालोतरा साण्डेराव वाया जालोर) पदेन उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के जवाब व अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त पाली के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि अवाप्ति के अवॉर्ड दिनांक 25.04.2022 में क्रम संख्या 15 पर याची का अवॉर्ड पारित किया गया है। विवादित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश दिनांक 28.09.1991 को ही जारी किया गया है व राजस्व रिकॉर्ड में भी विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी ही दर्ज है। आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष यह आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त भूमि आबादी में ही संपरिवर्तित है तथा मौके परचे के अनुसार भी उक्त भूमि आबादी की भूमि है। प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत करने के बावजूद भी तथा भूमि की किस्म आबादी होने के मुआवजे की गणना किये जाने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश को उचित नहीं माना जा सकता। अतएव सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित अवॉर्ड आदेश दिनांक 25.04.2022 में याची के पक्ष में किये गये अवॉर्ड की हद तक को अपास्त किया जाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः याची की अवाप्तशुदा भूमि के वास्तविक हकदार, विधिनुसार व नियत दिनांक को किस्म के अनुसार मुआवजे का निर्धारण तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली